



INDIA NON JUDICIAL



IN-UP01951497178949V

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	: IN-UP01951497178949V
Certificate Issued Date	: 30-Aug-2023 03:54 PM
Account Reference	: NEWIMPACC (SV)/ up14287204/ GHAZIPUR SADAR/ UP-GZP
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP1428720499481723555766V
Purchased by	: UDAY PRATAP SINGH YADAV
Description of Document	: Article 4 Affidavit
Property Description	: AFFIDAVIT
Consideration Price (Rs.)	:
First Party	: UDAY PRATAP SINGH YADAV
Second Party	: SACHIV PRAVIDHIK SHIKSHA PARISHAD U P LUCKNOW
Stamp Duty Paid By	: UDAY PRATAP SINGH YADAV
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 100 (One Hundred only)

₹ 100

IN-UP01951497178949V

क्र.सं. 3240
दिनांक 30/8/23



ACC Name-PCIT & ST&EP
ACC Code-UP14287204
ACC Add
Month
Job
Folio

Please write or type below this line



(100) → 3240

NOTARY

1. The authenticity of the Stamp certificate should be verified at 'www.ahcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding Corporation of India.
2. The only of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

(प्रारूप-“अ”)

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप-

हम उदय प्रताप सिंह यादव एवं राजेश यादव कमरा: अध्यक्ष एवं सचिव (सोसाइटी/ट्रस्ट का नाम एवं पता) मुखराम चेरिटेबुल ट्रस्ट रुहीपुर चौकिया गाजीपुर शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं -

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा मुखराम महाविद्यालय फार्मसी जगदीशपुर, रुहीपुर-गाजीपुर नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है
2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम जगदीशपुर गोपीनाथपुर में गाटा संख्या 49, 50, 51, 56, 65, 57, 89, 71, 76, 78, 84, 86, 87, 100, 102, 136, 99, 98 कुल रकबा 0.8302हे0 यानि 8302 वर्ग मीटर भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 49, 50, 51, 56, 65, 57, 69, 71, 76, 78, 84, 86, 87, 100, 102, 136, 99, 98 कुल रकबा 0.8302हे0 यानि 8302 वर्ग मीटर भूमि है। पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 06.05.2022 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि, इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद / विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान / विद्यालय/ महाविद्यालय/आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि, शासन / परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों / आदेशों का भलीभांति पालन करूंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की



हो सचिव

NOTARY
GOVT. OF U.P.

हो अध्यक्ष

सु 1